न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 64 सन 2022

अनवान :–

1. कमला पुत्री रामजीलाल पत्नी लादूराम जाति जाट साकिन मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

सायला

बनाम

1. रूकमा पत्नी रामजीलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सन्तोष पुत्री रामजीलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता सायला
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा कडवासरा अधिवक्ता
गैरसायल संख्या 1 ता 2

निर्णय दिनांक :– 18/07/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मोजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 61/52 की कुल 5.3130हैक भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें सायला 1/3 हिस्सा गैरसायला संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, गैरसायला संख्या 2 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायला एवं गैरसायलान अपने हक हिस्सा की भूमि को मुश्तरका ही काश्त करते एव रकमराज अदा करते आ रहे है किन्तु विवादित भूमि का खाता मुश्तरका होने के कारण लगान काश्त व सीव का झगडा रहता है इसलिये सायला अपने हक व हिस्सा की भूमि का मुताबिक भूमि किस्म अनुसार अच्छी मे से अच्छी व घटिया में से घटिया के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवाने की अधिकारी है।

गैरसायला संख्या 1 वृद्ध औरत है जिसकी मानसिक स्थिति सही नही है वह गैरसायला संख्या 2 के असर में है इसलिये गैरसायल संख्या 2 गैरसायला संख्या 1 की वृद्ध अवस्था का नाजायज फायदा उठाकर गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय करने पर उतारू है यदि गैरसायला संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो सायला को भारी नुकसान होता है इसलिये सायला गैरसायला के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को पाबन्द किया जावे की वह रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 61/52 की कुल 5.3130हैक भूमि का रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुंतकिल ना करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन /नोटिस तलब किया गया गैरसायलान संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र. में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

गैरसायला संख्या 1 जो कि विधवा औरत है जिसका गुजारा स्वय की कृषि भूमि की आमदनी से करती है तथा गैरसायला संख्या 1 जाक कि उपरोक्त कृषि भूमि को अपनी मेहनत कर समतल व उपजाउ बनाया गया है जिस पर गैरसायला संख्या 1 के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है जो अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है अपने हिस्से अनुसार भूमि काश्त करती आ रही है।

गैरसायला मानसिक रूप से बिलकुल स्वस्थ है व गैरसायला को उक्त विवादित भूमि अपने पति रामजीलाल के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वह अपने हिस्से के अनुसार काबिज है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

गैरसायला संख्या 2 ने जवाब पेश किया की वाद भूमि उसके पिता रामजीलाल के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है और अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर भूमि काश्त करती आ रही है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

गैरसायला संख्या 1 ,2 वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहतन से उपजाउ बनाया गया है अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करते आ रहे है जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

गैरसायलान का जवाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 61/52 की कुल 5.3130हैक भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें सायला 1/3 हिस्सा गैरसायला संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, गैरसायला संख्या 2 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायला एवं गैरसायलान अपने हक हिस्सा की भूमि को मुश्तरका ही काश्त करते एवं रकमराज अदा करते आ रहे है किन्तु विवादित भूमि का खाता मुश्तरका होने के कारण लगान काश्त व सीव का झगडा रहता है इसलिये सायला अपने हक व हिस्सा की भूमि का मुताबिक भूमि किस्म अनुसार अच्छी मे से अच्छी व घटिया में से घटिया के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवाने की अधिकारी है।

गैरसायला संख्या 1 वृद्व औरत है जिसकी मानसिक स्थिति सही नही है वह गैरसायला संख्या 2 के असर में है इसलिये गैरसायल संख्या 2 गैरसायला संख्या 1 की वृद्व अवस्था का नाजायज फायदा उठाकर गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय करने पर उतारू है यदि गैरसायला संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो सायला को भारी नुकसान होता है इसलिये सायला गैरसायला के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायला संख्या 1, 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गैरसायला संख्या 1 जो कि विधवा औरत है जिसका गुजारा स्वय की कृषि भूमि की आमदनी से करती है तथा गैरसायला संख्या 1 जाक कि उपरोक्त कृषि भूमि को अपनी मेहनत कर समतल व उपजाउ बनाया गया है जिस पर गैरसायला संख्या 1 के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है जो अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है अपने हिस्से अनुसार भूमि काश्त करती आ रही है।

गैरसायला मानसिक रूप से बिलकुल स्वस्थ है व गैरसायला को उक्त विवादित भूमि अपने पति रामजीलाल के देहान्त होनें पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वह अपने हिस्से के अनुसार काबिज है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

गैरसायला संख्या 2 ने जवाब पेश किया की वाद भूमि उसके पिता रामजीलाल के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है और अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर भूमि काश्त करती आ रही है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

गैरसायला संख्या 1 ,2 वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहतन से उपजाउ बनाया गया है अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करते आ रहे है जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सयुक्त खाते के काश्तकार किस प्रकार से वाद भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है प्रार्थना पत्र मे तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष मे है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मोजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 61/52 की कुल 5.3130हैक भूमि मुश्तरका खाते मे दर्ज है जिसमे सायला 1/3 हिस्सा गैरसायला संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, गैरसायला संख्या 2 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

वाद भूमि सायला एवं गैरसायल संख्या 1 ता 2 के नाम मुश्तरका खाते मे दर्ज है वाद भूमि मुश्तरका खाते मे दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षो के पक्ष मे पाया जाता है।

सायला का कथन है कि मुश्तरका खाते की भूमि का हक हिस्से एव किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान अलग करवाना चाहती है तथा गैरसायलान का कथन है कि सहकाश्तकारो को किसी भी निषेधाज्ञा से पावन्द नही किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
जाहर

Scanned with CamScanner

सायला एवं गैरसायलान संख्या 1 ता 2 दोनो के ही कथन आंशिक स्वीकार योग्य है यह सही है कि वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसका खाता विभाजन का वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

सायला एवं गैरसायलान जो रामजीलाल की पुत्रीया एव पत्नी है तथा गैरसायलान का कथन है कि रामजीलाल के देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार मुश्तरका खाते में दर्ज हुई है जिसका विरोध सायला के द्वारा नही करने से गैरसालयान का कथन सही प्रतीत होता है।

सायला का कथन है कि गैरसायला संख्या 1 अपने हक हिस्सा की भूमि का बेचान करना चाहती है जबकि गैरसायला संख्या 1 ने सायला के कथन का विरोध किया है तथा निवेदन किया की उसके हक हिस्सा की भूमि की आय से ही वह अपना भरण पोषण कर सकती है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार सायला एव गैरसायला मुश्तरका रिकार्डेड खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिन्हे बिना किसी ठोस आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है तथा सायला ने ऐसा कोई ठोस आधार पेश नही किया जिससे गैरसायलान को पाबन्द किया जाना आवश्यक हो मात्र कथन किया है वह भूमि बेचान करना चाहती है।

सायला एवं गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा खाता विभाजन का वाद न्यायालय में विचाराधीन है उभयपक्षों को वाद भूमि में से किसी विशेष हिस्से का बेचान नही करने हेतु पाबन्द किया जा सकता है।

न्यायालय में सायला के द्वारा प्रस्तुत किया गया खाता विभाजन का वाद विचाराधीन है जिसमें सायला एव गैरसायलान के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगा की उभयपक्ष किस प्रकार से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है तब तक उभयपक्षों को वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान नही करने हेतु पाबन्द रखा जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु उभयपक्षों में सामान रूप से साबित/पाये जाने के कारण कार्यालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.04.2022 को निरस्त किया जाकर पाबन्द/निर्देशित किया जाता है कि (सायला एवं गैरसालान) वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान ताफैसला दावा नही करे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner